

12.2.24

वकील उभयपक्ष उपस्थित उपखण्ड
अधिकारी महोदय अन्य कार्य में
व्यस्त/मीटिंग/अवकाश पर है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 22.7.24 को पेश है।

22.4.24 वकील वादी उपस्थित। वकील जर्मी
को अजर्मीगण की तलबी हेतु कई
दफा हिदायत दी गई लेकिन
अजर्मीगण की तलबी नहीं देने
के कारण पत्रावली को तलबी के
अभाव में O.V.R-S CPC के अन्तर्गत
रखाजि किया जाता है।
पत्रावली नम्बर 6 कम की
भावा बाद तक्मील कारिजल दफतल
है।

(रुखानि गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन महायक कलेक्टर
दिल्ली

